

FORM No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

App. A
Crim - 1

न्यायालय उपखण्ड एवं उपजिला मजिस्ट्रेट

बनेड़ा जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)

दालत उपखण्ड अधिकारी बनेड़ा मुकाम बनेड़ा

श्री अहसान अली बनाम राजेश-कांत शर्मा

मुकदमा 251 ए प्रि. न. अ. नं. 207 सन् 2020

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशयल्य जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
-----------------------------------	--

वकील उमेश शर्मा द्वारा उपस्थित पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए

विरुद्ध विपक्षी गण पेश किया गया। उपस्थित पत्र बाद जाँच

दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षी गण की तलबी हेतु पत्रावली दिनांक

8/1/21 को पेश हो।

8/1/21

पत्रावली पेश हुई उमय पक्ष उपस्थित पिठासीन
अधिकारी का स्थानान्तरण / दौरे अवकाश में पधारें
हैं / अन्य राजकार्य में व्यस्त है / अतः अवकाश
पत्रावली साबिक आदेश दिनांक 15/1/21 को पेश हो।

आज्ञा से
रीडर



पत्रावली पेश हुई उमय पक्ष उपस्थित पिठासीन
अधिकारी का स्थानान्तरण / दौरे अवकाश में पधारें
हैं / अन्य राजकार्य में व्यस्त है / अतः अवकाश
पत्रावली साबिक आदेश दिनांक 19/1/21 को पेश हो।

पत्रावली
पत्रावली

दुर्घट या कार्यवाही एवं दृष्टिगत करने

15/9/21

पत्रावली पेश हुई समय पत्र उपस्थित पितासीन अधिकारी का स्थानान्तरण/दौरे अवकाश में पधार हैं/अन्य राजकार्य में व्यस्त है/अतः अवकाश पत्रावली साबिक आदेश क्र. को पेश हो।

23/9/21

आज्ञा से
रीडर

कम्प किंग्स
24/11/21

पत्रावली पेश हुई समय पत्र उपस्थित पितासीन अधिकारी का स्थानान्तरण/दौरे अवकाश में पधार हैं/अन्य राजकार्य में व्यस्त है/अतः अवकाश पत्रावली साबिक आदेश क्र. को पेश हो।

8/3/22

आज्ञा से
रीडर

8/3/2022

पत्रावली पेश हुई। उभय पक्षकारान उपस्थित। पत्रावली में संलग्न तहसीलदार रिपोर्ट का अध्ययन करने से ज्ञात हुआ कि प्रार्थी की ग्राम खायला में स्थित खालदारी आ.न. 2974, 2975 ख.वा. 1.10 बीघा में पहुँच हेतु आ.न. 2980 किस्म गे.मु. 2मंशान से रास्ता पाएने का स्वत. भूमि गे.मु. 2मंशान होने से रास्ता दिख जाना स्थित बनी है। अतः प्रार्थक पत्र आ.न.ग.न. द्वारा 2वा - A रिवा खारिज किया जाकर पत्रावली फेरवाला शुमार होकर दायित्व 6 फर हो।